मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2923
12.03.2021 को उत्तर के लिए

वन्य जीवों द्वारा हमला

2923. श्री अक्षयवर लाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कटरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में वन्य जीवों जैसे बाघ, तेंदुआ, चीता आदि के लिए सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं वर्तमान सुरक्षित वन क्षेत्र में बाघ और तेंदुआ सहित वन्य जीवों की संख्या कितनी है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान सुरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों के हमलों से कितने लोगों की मृत्यु हुई/लोग हताहत हुए;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे हमलों में मारे गए लोगों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ड.) क्या सरकार का विचार जानवरों को संरक्षित क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने एवं मानव जीवन को खतरों से बचाने के लिए कांटेदार तार लगाने और दीवार बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) कटरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव और उनके पर्यावास के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कटरनिया घाट में बाघों, तेंदुओं और हाथियों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है :

प्रजातियां	संख्या
बाघ	29
तेंदुआ	39
हाथी	70

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, कटरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के बाहर वन्यजीवों के हमले से हुई लोगों की मृत्यु की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	लोगों की हुई मृत्यु की संख्या
2015-16	0
2016-17	03
2017-18	11
2018-19	07
2019-20	08

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.12.2018 से 04.12.2020 तक 14 प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में प्रति परिवार 5 लाख रूपए प्रदान किए गए।

(ड.) और (च) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, अति संघर्ष वाले क्षेत्रों में चेन लिंक बाड़ लगाने और वन्यजीवों के लिए गढ्डे खोदने जैसे संरक्षण उपाय किए जा रहे हैं।

*****